भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *196

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2011 को दिया जाना है ।

.....

अन्तर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की स्थिति

***196. श्री परिमल नथवानी :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के समक्ष लम्बित अन्तर्राज्यीय जल विवादों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले में सौहार्दपूर्ण समाधान न निकलने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्राकृतिक संसाधनों के पारदर्शी आबंटन संबंधी उच्चाधिकार समिति ने 'जल' को समवर्ती सूची में रखे जाने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इससे अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान किस प्रकार से होगा ?

उत्तर

संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की स्थिति के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.12.2011 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *196 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) वर्तमान में, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के तहत 5 अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद भेजे गए हैं । उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नदी/नदियां	संबंधित राज्य	केन्द्र सरकार को भेजने की तारीख	अधिकरण को भेजने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	रावी और ब्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	---	अप्रैल, 1986	धारा 5(2) के तहत अप्रैल, 1987 में रिपोर्ट दी गई । एक राष्ट्रपतीय संदर्भ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और मामला न्यायाधीन है। धारा 5(3) के तहत आगामी रिपोर्ट लंबित है।
2.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी	जुलाई, 1986	जून, 1990	धारा 5(2) के तहत दिनांक 5.2.2007 को रिपोर्ट दी गई। पक्षकार राज्यों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) लंबित है और मामला न्यायाधीन है । धारा 5(3) के तहत आगामी रिपोर्ट लंबित है ।
3.	कृष्णा	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	सितम्बर, 2002-जनवरी, 2003	अप्रैल, 2004	धारा 5(2) के तहत दिनांक 30.12.2010 को रिपोर्ट दी गई। धारा 5(3) के तहत आगामी रिपोर्ट दी जानी है ।
4.	महादायी (मंडोवी)	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	जुलाई, 2002	नवम्बर, 2010	धारा 5(2) के तहत रिपोर्ट दी जानी है ।
5.	वंशधारा	आंध्र प्रदेश और ओड़ीशा	फरवरी, 2006	मार्च, 2010	धारा 5(2) के तहत रिपोर्ट दी जानी है ।

(ख) राजीव-लोंगोवाल समझौता ज्ञापन दिनांक 24.7.1985 के अनुसार रावी और व्यास के जल के बंटवारे के मुद्दे को अधिकरण को सौंपा गया था । चूंकि अन्य 4 मामलों का बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हो सका, इसलिए इन विवादों को अधिनिर्णय करने के लिए अधिकरणों को सौंपा गया है ।

(ग) श्री अशोक चावला की अध्यक्षता में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति (सीएएनआर) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि "समिति जल हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की तत्काल आवश्यकता महसूस करती है । इसे, जल को समवर्ती सूची में शामिल करके समुचित कानून बनाकर अथवा राज्यों के बहुमत से इस पर मतैक्य प्राप्त करके कि ऐसे "ढ़ांचागत कानून" को केन्द्र द्वारा अधिनियमित करना आवश्यक और वांछित है, किया जा सकता है ।"

(घ) प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन से संबंधित समिति की रिपोर्ट के अनुसार तटवर्ती राज्यों के अधिकारों की स्थिति एक राष्ट्रीय कानून में परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि अंतर्राज्यीय विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा सके ।

*****